

—:आदेश:—

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के नियम 32-33 के अन्तर्गत विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर गैर अनुसूचित क्षेत्र के निम्नलिखित कनिष्ठ सहायक को वरिष्ठ सहायक के पद पर वर्ष 2019-20 की रिक्तियों के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 पे मेट्रिक्स लेवल -08 में पदोन्नत किया जाता है।

क्र. सं.	वरिष्ठता क्रमांक	नाम कार्मिक	वर्तमान पदस्थापन	वर्ग	रिक्ति की दिनांक	वि0वि0
1.	19	श्री ओमदत्त पुत्र श्री नारायण सिंह	सहायक निदेशक अभियोजन, भरतपुर	सामान्य	दिनांक 1.4.2019	
2.	20	श्री भुपेन्द्र सिंह पुत्र श्री विजय सिंह	सहायक निदेशक अभियोजन, झुंझुनू	सामान्य	दिनांक 1.4.2019	
3.	24	श्री कुशराज सिंह पुत्र श्री भवानी सिंह	सहायक निदेशक अभियोजन, भीलवाडा	सामान्य	दिनांक 1.4.2019	
4-	30	श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री रामसहाय शर्मा	---	सामान्य	दिनांक 1.4.2019	से0 नि0 दि0 30.4.19
5.	31	श्री भवानी शंकर राव पुत्र श्री रामेश्वर लाल	सहायक निदेशक अभियोजन, भीलवाडा	सामान्य	दिनांक 1.4.2019	
6.	32	श्री चंचल सिंह पुत्र श्री नानूराम	सहायक निदेशक अभियोजन, भीलवाडा	सामान्य	दिनांक 1.4.2019	
7.	33	श्री नितेश चारण पुत्र श्री उम्मेद सिंह	सहायक निदेशक अभियोजन, जोधपुर	सामान्य	दिनांक 1.4.2019	
8.	34	श्री मनोज कुमार शर्मा पुत्र श्री नन्द लाल शर्मा	अभियोजन निदेशालय	सामान्य	दिनांक 1.4.2019	
9.	35	कु0 इन्दू चौधरी पुत्री श्री ओमप्रकाश डूडी	सहायक निदेशक अभियोजन, जयपुर प्रथम	सामान्य	दिनांक 1.4.2019	

उपरोक्त पदोन्नत कार्मिकों का पदोन्नति पर, पद रिक्ति की तिथि से काल्पनिक वेतन निर्धारण तथा कार्यग्रहण की तिथि से नकद लाभ देय होगा। उपरोक्त पदोन्नति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक प. 13(5) साप्र/3/08 दिनांक 17.12.2019 द्वारा अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है। क्र0स0 01 से 03 एवं 05 से 09 पर अंकित पदोन्नत कार्मिकों का पदस्थापन वर्तमान कार्यालय में वरिष्ठ सहायक के रिक्त पद पर किया जाता है।

(एस0एन0व्यास)

निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (अभियोजन) राजस्थान जयपुर।
2. समस्त उप/सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान (मु.) सहित।
3. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन।
4. अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्याय) राजस्थान जयपुर।
5. प्रशासनिक अधिकारी/अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी अभियोजन निदेशालय।
6. सम्बंधित कार्मिक/निजी पत्रावली
7. रक्षित पत्रावली/समस्त शाखा, अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर।

(नमो शरण)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर